

**JAIN VISHVA BHARATI INSTITUTE-LADNUN**  
(Deemed-to-be University under Section 3 of the U.G.C. Act, 1956)

**Minutes of the 76<sup>th</sup> Meeting of Board of Management**

Minutes of the 76<sup>th</sup> Meeting of the Board of Management Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun was held on July 24<sup>th</sup>, 2015 (Friday) at 11.30 p.m. Anubiha, Jaipur under the Chairperson of Vice-Chancellor Samani Charitra Prajna.

**1. Attendance :**

Following members attended the meeting:-

S. No.	Name of the Person	Designation
1.	Samani Charitra Prajna	Vice-Chancellor & Chairperson
2.	Prof. Samani Chaitanya Prajna	Member
3.	Shri Dharam Chand Lunked	Member
4.	Sh. Dhanraj Baid	Member
5.	Sh. Dileep Baid	Member
6.	Sh. Shanti Lal Barmecha	Member
7.	Prof. R.B.S. Verma	Member
8.	Prof. A.P. Tripathi	Member
9.	Prof. B. L. Jain	Member
10.	Sh. Shanti Lal Golchha	Special Invitee
11.	Sh. G. Sukanraj Permar	Special Invitee
12.	Sh. T. Amarchand Lunked	Special Invitee
13.	Sh. Arvind Gothi	Special Invitee
14.	Sh. B. Ramesh Chand	Special Invitee
15.	Sh. Pramod Baid	Special Invitee
16.	Prof. Anil Dhar	Registrar and Non-Member Secretary

**2. Chairperson :**

Vice-Chancellor Samani Charitra Prajna occupied the chair and welcomed all the Hon'ble members.

**3. Quorum :**

The quorum being present, meeting was called to order.

**4. Granting of leave of absence :**

Leave of Absence granted for following :

(i) Sh. Prakash Jain,

**5. Approval of the 75<sup>th</sup> Meeting held on December 13, 2014.**

Minutes of the earlier meeting held on December 13, 2014 were read. After due discussion, the minutes were confirmed.

**6. Discussion on changes required in MOA.**

Chairperson informed to the members that necessary changes required for granting 12B status in Institute MOA as per UGC Regulation 2010, UGC Regulation (amendment) 2014 and 2015. In this regard following committee constituted by the board :

01. Sh D. R. Baid,
02. Sh. S. K. Jain,
03. Registrar, JVBI

This committee is required to submit their report on necessary changes in MOA to Vice Chancellor and after that it will be submitted to UGC on or before 31.08.2015.

**7. Approval of Income & Expenditure A/C for the quarter ended June 30, 2015.**

The Draft of Income and Expenditure A/c for the quarter ended June 30, 2015 was placed before the board and after discussion same was approved.

**8. Approval of Final Balance Sheet as at March 31, 2015.**

The Draft of final balance sheet as at March 31, 2015 was placed before the board and after detailed discussion same was approved.

**9. Approval of Balance Sheet for the purpose of FCRA alongwith Auditor's Report.**

The Draft of Balance Sheet for the purpose of FCRA alongwith Auditor's Report was placed before the board and after detailed discussion same was approved.

**10. Compliance of legal cases.**

Registrar informed about the following compliances of legal cases :

**1. मथारु एसोसिएट बनाम जैन विश्व भारती संस्थान**

उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद मथारु एसोसिएट के द्वारा बनाए गए निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट के भुगतान का है। इस प्रकरण में जैन विश्व भारती संस्थान की ओर से एडवोकेट श्री मिलिन्द गोखले, हैदराबाद द्वारा जून 2014 में अन्तिम बहस की गयी, परन्तु श्री गोखले के निवेदन पर पुनः अन्तिम बहस हेतु एक अवसर और चाहा गया था। मेड़ता जिला न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किया गया। वर्तमान में दिनांक 07 अगस्त 2015 को कार्यालय में बहस होगी।

**2. राजेश सैनी बनाम जैन विश्व भारती संस्थान एवं अन्य**

उक्त प्रकरण में राजेश सैनी जो कि संस्थान का पूर्व विद्यार्थी था, के द्वारा उपभोक्ता मंच सीकर में दावा किया गया एवं सीकर के मंच द्वारा जैन विश्व भारती संस्थान को मूल पक्षकार नहीं मानते हुए दावा खारिज कर दिया। उक्त विद्यार्थी द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में अपील प्रस्तुत की गयी। संस्थान की ओर से लिखित जवाब एवं बहस प्रस्तुत की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के आदेश लम्बित है।

**3. ममता शर्मा बनाम जैन विश्व भारती संस्थान एवं अन्य**

उक्त प्रकरण में विद्यार्थी ममता शर्मा को पीटीईटी परीक्षा समन्वयक के द्वारा जारी निर्देशानुसार बी.एड. करने हेतु अर्हता प्राप्त नहीं माना गया। बाद में राजस्थान उच्च



## 02. Relived


Sr.No.	Name of Employee	Designation	Department	Reason
1.	Vijay Shree Sharma, Ms.	AO	Estt. Section	Resignation
2.	AnshuLeelaAgarwal, Dr.	Asst. Professor	AKKM	Resignation
3.	Sanjay Harijan, Sh.	Safaikarmi	JVBI	Resignation
4.	SamaniSthitPrajna, Dr.	Associate Professor	Yoga & SOL	Retirement
5.	Dinesh Kumar Lata, Sh.	Technician	Computer Section	Resignation
6.	Prof. J.P.N. Mishra	Professor	Yoga & SOL	Resignation
7.	Dr Sanjay Goyal	Assistant Professor	English	Resignation

## 14. Any other matter with the permission of the Chairperson.

01. Chairperson informed to members that we are also established JVBI consulting offices at Jaipur and Delhi.
02. Prof. B. L. Jain informed to the members that NCTE has declared for two year programme for M.Ed. and B.Ed accordingly Education Department taken the action.
03. **International Conference on Science and Jain Philosophy:** BMIRC Director, Prof. SamaniChaitanyaPrajna informed to members that centre will be organize an International Conference on Science and Jain Philosophy on January 08-10, 2016 at Mumbai. After discussion it was decided that conference proposal should come through proper channel i.e. (i) Planning and Monitoring Board, (ii) Finance Committee and (iii) Board of Management. Board asked to Prof. SamaniChaitanyaPrajna that she should prepared a fresh proposal and submit to Registrar for proper channel.
04. The following new policies, which were recommended by the Academic Council in its meeting held on 21<sup>st</sup> February, 2015,, were placed before the BoM for their approval:
  - i. E-Governance Policy
  - ii. Innovative Research Award Policy
  - iii. Policy for Financial Support to Faculty for Academic Development
  - iv. Information and Technology (IT) Policy
  - v. Strategic Plan for Funds Mobilization from External Resources
  - vi. Grievance Redressal Policy
  - vii. Research Promotion PolicyAs the Institute is continuously developing a mechanism in the Institute-system by framing various policies, members of BoM appreciated the same and approved all above policies.
05. Report of the Examination-Committee regarding results of the academic session 2014-15 were placed before the BoM for the approval, which has also been approved by the Academic Council in its meeting held on 21<sup>st</sup> Febraury, 2015.

BoM approved the same.

There being no other business, the meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

  
(Prof. Anil Dhar)  
Registrar and  
Non-Member Secretary

# जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

## दिनांक 21 फरवरी, 2015को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2.	प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा	सदस्य
3.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
5.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
6.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
5.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
7.	प्रो. बच्छराज दूगड़	सदस्य
9.	डॉ. समणी सत्य प्रज्ञा	सदस्या
10.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
11.	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
12.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
13.	डॉ. शशिबाला सिंह	सदस्य
14.	प्रो. ओ.पी.पाण्डेय	सदस्य
16.	प्रो. अशोक बापना	सदस्य
17.	प्रो. राजुल भार्गव	सदस्या
18.	प्रो. एस.पी.दुबे	सदस्य
19.	प्रो. एस.सी.राजोरा	सदस्य
20.	प्रो. एन. कृष्णास्वामी	विशेष आमंत्रित
21.	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(01) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

**(Approval of minutes of the 28<sup>th</sup> Meeting held on January 25, 2014)**

सदन द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2014 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(02) चोइस बेसड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की अनुमति।

**(Approval for adoption of Choice Based Credit System)**

कुलसचिव ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की माननीया कुलपति महोदया ने प्रो. आर.बी. एस. वर्मा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु Choice Based Credit System का प्रारूप बनाकर देने का दायित्व दिया था। इस प्रारूप को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विषय पर विचार-विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

- (03) निम्नलिखित विभागों / महाविद्यालयों में अध्ययन मंडल द्वारा पारित संशोधित / नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन –  
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments)–

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्षा प्रो. समणी चैतन्यप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू की जाएगी। विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) संस्कृत एवं प्राकृत विभाग (Dept. of Sanskrit and Prakrit)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत एवं प्राकृत के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रो. बच्छराज दूगड़ का विचार था कि एम. ए. संस्कृत प्रथम सत्र के तृतीय पत्र का नाम "संस्कृत काव्य साहित्य" के स्थान पर "जैन संस्कृति एवं साहित्य" किया जाये। इस सन्दर्भ में यह विचार आया कि विभागाध्यक्ष प्रो. एस. पी. दुबे से इस सन्दर्भ में विचार-विमर्श कर आवश्यक संशोधन कर लेवे, इस सम्बन्ध में विद्या परिषद ने अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

इसके अतिरिक्त प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अध्ययन मण्डल की बैठक एम.ए. हिन्दी का पाठ्यक्रम पारित करवा लिया गया है, इस सम्बन्ध में विचार आया कि पाठ्यक्रम में हिन्दी उपन्यास एवं हिन्दी कहानी का पाठ्यक्रम अलग-अलग करना चाहिए। विद्या परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन के साथ इसे स्वीकृत किया गया कि इसे प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाए। आगामी सत्र से एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की भी जानकारी सदन को दी गई।

प्रो. दामोदर शास्त्री, विभागाध्यक्ष ने विभाग के नामकरण में परिवर्तन करने का सुझाव सदन के समक्ष रखा। सदन ने इस विषय पर काफी विचार-विमर्श के पश्चात् विभाग का नाम "प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग" रखने की स्वीकृति प्रदान की।

(iii) जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग (Dept. of Science of Living Preksha Meditation and Yoga)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा ने एम.ए./एम.एस.सी. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने विभाग का नामकरण परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सदन सदन के समक्ष रखा, जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। आगामी सत्र से विभाग का नाम "योग एवं जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान विभाग" "Department of Yoga and Science of Living" होगा।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल धर ने M.A. in Non-violence and Peace एवं M.A. in Political Science, B.A. (NVP स्नातक स्तर पर) M.Phil (NVP) के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा संशोधित पारित पाठ्यक्रम को विद्या परिषद के समक्ष रखा एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) **समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)**

विभागाध्यक्ष प्रो. आर.बी.एस. वर्मा ने समाज कार्य विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत समाज कार्य विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व-सम्मति से पारित किया गया।

(vi) **शिक्षा विभाग (Department of Education)**

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से बी.एड एवं एम.एड का पाठ्यक्रम दो वर्ष का हो गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम NCTE के Frame Works के अनुसार किये जाने के बारे में जानकारी दी। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक में पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए तथा इसे लागू करने के लिए विद्या परिषद ने माननीया कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(vii) **अंग्रेजी विभाग (Department of English)**

अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रो. रेखा तिवारी ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी के साथ आगामी सत्र से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। सदन में क्रेडिट सिस्टम समान नहीं होने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया। काफी विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि समस्त पेपरों में क्रेडिट सिस्टम में समानता होनी चाहिए।

(viii) **आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)**

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा जी ने आगामी सत्र से अध्ययन मण्डल द्वारा पारित बी.ए./बी.काम. के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की जानकारी के साथ स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी।

इसके अतिरिक्त आगामी सत्र से बैंकिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। उपरोक्त दोनों प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा सर्व-सम्मति से पारित किए गये।

(ix) **दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)**

• दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित एम.ए. राजनीति विज्ञान का पारित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। इस सम्बन्ध में यह विचार आया कि "जैन संस्कृति एवं जीवन मूल्य" के स्थान पर "जैन राजनेतिक विचार एवं जीवन मूल्य" अधिक उपयुक्त होगा। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

• प्रो. त्रिपाठी ने वर्तमान में संचालित बी.पी.पी. पाठ्यक्रम को इसी सत्र से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (पांच पत्रों - सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान) के अनुसार परिवर्तन कर लागू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से अनुमति लेकर बी.पी.पी. को 10+2 के समकक्ष करने की अनुमति ले सकता है। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

• बी.पी.पी. कोर्स करने के पश्चात् संस्थान से बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

- सदन में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि बी.पी.पी. के कोर्स को संस्थान में सिद्धान्त: 10+2 के समकक्ष माना जा सकता है। इस हेतु विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।
- प्रो. त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान में संचालित समस्त उपाधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दो सत्रीय कार्य के स्थान पर एक सत्रीय कार्य किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) सी.आई.ए. प्रणाली में सुधार हेतु अनुमति।

**(Approval for modification in C.I.A. System)**

माननीया कुलपति महोदया की दिनांक 07 जनवरी, 2015 को आयोजित समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक में संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में C.I.A. System में परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी दी जिसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा:

अ. प्रार्थना, ध्यान, एवं कक्षाओं में उपस्थिति	10 अंक
ब. मिड- टर्म टैस्ट	10 अंक
स. विभागीय सेमीनार प्रस्तुति	05 अंक
द. असाईन्मेंट	05 अंक

कुल 30 अंक

विद्या परिषद द्वारा इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

(05) माननीया कुलपति महोदया ने विद्या परिषद के समक्ष प्रो. फूलचंद जैन, वाराणसी को जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में एवं प्रो. अशोक बापना, जयपुर को अहिंसा एवं शांति विभाग में ऐमरिटस प्रोफेसर के मनोनयन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(06) विद्या-परिषद् के समक्ष निम्नलिखित नवीन नीतियों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया—

- E-Governance Policy
- Innovative Research Award Policy
- Policy for Financial Support to Faculty for Academic Development
- Information and Technology (IT) Policy
- Strategic Plan for Funds Mobilization from External Resources
- Grievance Redressal Policy
- Research Promotion Policy

विद्या-परिषद् के सदस्यों द्वारा संस्थान द्वारा विविध-नियमों के संदर्भ में स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने हेतु निरन्तर विकसित की जा रही इन अति आवश्यक नवीन नीतियों के संबंध में सराहना की गई एवं सभी नीतियों को लागू करने हेतु सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान के सत्र 2013-14के परीक्षा-परिणामों के संबंध में परीक्षा-समिति की रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन द्वारा परीक्षाओं-परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत परीक्षा-समिति की अनुमोदनाओं को स्वीकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)

कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव